



# सुनियोजित तरीके से करें टैक्स प्लानिंग

टैक्स प्लानिंग का उद्देश्य अपने आर्थिक मामलों को इस तरह से व्यवस्थित करना है ताकि यह करों का प्रभाव कम-से-कम कर सके. यह वित्तीय नियोजन एवं निवेश संबंधी निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला होना चाहिए, ताकि व्यक्ति की दीर्घकालिक आर्थिक आवश्यकताएं पूरी की जा सकें. भारत जैसे देश में, जहां हमारे पास सामाजिक सुरक्षा नहीं है, वित्तीय नियोजन के तहत परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखना भी महत्वपूर्ण है. बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियोजन उपकरणों पर कई कर लाभ योजनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. किसी भी व्यक्ति के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वो इन लाभों को समझे और अपनी दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को इस प्रकार से संरक्षित करे जिससे अधिक-से-अधिक कर छूट मिल सके.

## कर बचत के लिए कैसे योजना बनाएं

उपलब्ध विकल्पों की व्यापक शोध एवं समझ के बाद, अत्यंत सावधानीपूर्वक कर संबंधी योजना बनाये जाने और इसे क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है. हालांकि, अधिकांश करदाता इस निर्णय को मार्च तक के लिए आस्थगित कर देते हैं और फिर वर्ष भर के कर को बचाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ किसी भी चीज में अपने पैसे का निवेश करने के लिए भागमभाग करने लगते हैं, जो सही तरीका नहीं है.



**गौरव सेठ, CFO**  
कैनेरा HSBC OBC  
लाइफ इश्योरेंस कंपनी

## पेंशन/सेवानिवृत्ति प्लान

अधिकांश बीमा कंपनियां पेंशन प्लान उपलब्ध कराती हैं, आपके भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर पेंशन/भत्ता प्राप्त करने के विकल्प प्रदान करते हैं. पेंशन प्लान के लिए भुगतान किये गये प्रीमियम पर आपको धारा 80सीसीसी के तहत 1.5 लाख रु. तक कर लाभ प्राप्त हो सकता है.

■ सबसे कुशल टैक्स प्लानिंग उपकरणों में से एक है, जीवन बीमा, जो वित्तीय सुरक्षा और अच्छा रिटर्न प्रदान करने के साथ-साथ कर बचत लाभ भी प्रदान करता है. धारा 80सी के तहत, जीवन बीमा के प्रीमियम के भुगतान के लिए कटौती की गई राशि वार्षिक रूप से अधिकतम 1.5 लाख रु. तक के लिए उपलब्ध है, जो बीमित राशि के 10 प्रतिशत तक सीमित है.

■ चिकित्सा उपचार के बढ़ते खर्च के साथ, यह विकल्प स्वयं और परिवार को हॉस्पिटलाइजेशन एवं चिकित्सा व्ययों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है. धारा 80डी के तहत, आप स्वयं, दंपति और आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 25,000 रु. तक की कटौती पर भी दावा कर सकते हैं और मां-बाप के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 25,000 रु. तक (वरिष्ठ नागरिक के लिए 30,000 रु. तक) तक की कटौती पर दावा कर सकते हैं.

■ आयकर कटौती का लाभ उठाने के लिए पीपीएफ, डाक लघुबचत सहित कई अन्य निवेश भी विकल्प उपलब्ध हैं. इसके अलावा, लोन लेकर हाउस प्रॉपर्टी में निवेश के दोहरे लाभ हैं.